

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 80]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 फरवरी 2019—फाल्गुन 2, शक 1940

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2019

क्र. एफ 1(ए)-04-2019-ए-सौलह.—कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 6 एवं 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 18-क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“18-क (क)—कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कारखाना निरीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह समय-समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश श्रम सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1985 में कारखाना निरीक्षक के लिए यथा विनिर्दिष्ट अर्हता न रखता हो.”

(2) यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

No. F. 1(A)-04-2019-XVI.—In exercise of the powers conferred by Section 6 and 112 of the Factories Act, 1948 (No. LXIII of 1948), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Factories Rules, 1962, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

(1) For rule 18-A, the following rule shall be substituted, namely:—

“18-A(a) No person shall be appointed as an Inspector of Factories for the purpose of the Act, unless he possesses the qualification as specified for an Inspector of Factories in the Madhya Pradesh Labour Service (Gazetted Recruitment Rules, 1985 as amended from time to time.”

(2) This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2019

क्र. एफ 1(ए)-04-2019-ए-सोलह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश श्रम सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1985 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-तीन में कॉलम (2) में, विद्यमान पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“श्रम विभाग	सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (कारखाना निरीक्षक).	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के अनुदेश के अनुसार.	किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो.	—”.

No. F. 1(A)-04-2019-XVI.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Labour Service (Gazetted) Recruitments rules, 1985, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, in Schedule-III, in column (2), for the existing post and entries relating thereto, the following post and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

Name of the Department	Name of Service	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“labour Department.	Assistant Director, Industrial health and safety (Inspector of Factories).	21 years	As per the instruction of General Administration Department.	Must have secured a graduate degree in any branch of Engineering/ Technology from a recognized University or from an institution recognized by the University Grant Commission.	—”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मालसिंह, अपर सचिव.